संख्या–3331

संख्या 44/बयालिस–2011–29(बजट)/2010

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
खेल
खेल, निदेशालय, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

खेल अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 24 जनवरी 2011

विषयः–राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाडियो को पुरस्कार दिये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या जी–723/2010–11, दिनांक 07.01.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाडियो को पुरस्कार दिये जाने हेतु रू0 8,00,000/–(रू0 आठ लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि श्री राज्यपाल महोदय पुर्नविनियोग के माध्यम से जिसका विवरण निम्न प्रस्तर में दिया गया है में हो रही बचतो से वहन कर व्यय किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 8,00,000/–(रू0 आठ लाख मात्र) अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवा सेवाये– आयोजनेतर– 104 –खेलकूद–13– राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियो को पुरस्कार–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज सहायता में 2204–खेलकूद तथा युवा सेवाये– आयोजनेतर– 104– खेलकूद– 06–कीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियो पर व्यय (बालक)–42–अन्य व्यय में हो रही बचतो से वहन कर व्यय की जायेगी।

3– उक्त धनराशि उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी जिन कार्यो के लिए पुर्नविनियोग द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस बात का कड़ाई से पालन किया जाय।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मदवार चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद एवं शासन के वित्त विभाग एवं खेल विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय।

सलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव

संख्या –44(1)/बयालिस–2011– तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
2–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
3–वित्त व्यय नियंत्रण अनुभग–5(वित्त आय–व्ययक–1/2)
4–निजी सचिव,मा0मंत्री,खेलकूद एवं युवा कल्याण,उत्तर प्रदेश शासन।
5–निजी सचिव,प्रमुख सचिव,खेल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश शासन।
6–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव